

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, फर्रुखाबाद।

1. विभागाध्यक्ष का पदनाम - निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास (उ0प्र0)
लखनऊ, सम्पर्क सूत्र- 0522-2625354
2. जिला सैनिक कल्याण एवं- (पद रिक्त) प्रभारी अपर उपजिलाधिकारी
पुनर्वास अधिकारी सदर
सम्पर्क सूत्र कार्यालय - 05692-234659

पद स्वीकृत कार्यरत

- | 3. सहायक अधिकारी | - | 1 | 1 | 31 अक्टूबर 09 को
सेवानिवृत्त हो रहे हैं। |
|----------------------|---|---|---|---|
| 4. वरिष्ठ लिपिक | - | 1 | 1 | |
| 5. कनिष्ठ लिपिक | - | 3 | 1 | |
| 6. कल्याण कार्यकर्ता | - | 1 | - | |
| 7. चपरासी | - | 1 | - | |
| 8. चौकीदार | - | 1 | 1 | |
| 9. सफाई कर्मी | - | 1 | - | |

कार्यालय के क्रिया-कलाप -

1. भूवपूर्व सैनिकों/विद्यवाओं को परिचय-पत्र निर्गत करना।
2. सेवायोजन हेतु पंजीकरण
3. भूतपूर्व सैनिक/आश्रित प्रमाण-पत्र जारी करना।
4. स्वतः रोजगार हेतु बैंको से ऋण प्राप्त कराने में सहायता देना।
5. डप्लीकेट डिसचार्ज बुक के लिए प्रार्थना-पत्रों को अभिलेख कार्यालयों को प्रेषित करना।
6. पार्ट टू आर्डर हेतु आवेदनो का प्रेषण।
7. आर्मी ग्रुप इन्शोरेन्स फंड हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं उनकी जांच व प्रेषण।
8. वीरता पुरस्कार का एक मुश्त एवं वार्षिकी भुगतान सम्बन्धी कार्य कर पात्रों को धनराशि का वितरण करना।
9. इंदिरा आवास योजना हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त कर संबन्धित खण्ड विकास कार्यालय को प्रेषित करना।
10. विभिन्न स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना -पत्रों का प्रेषण।

11. द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/उनकी पत्नियों को उ०प्र० सरकार द्वारा देय पेंशन का वितरण।
12. उ०प्र० सैनिक पुनर्वास निधि से भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को बैंको से लिये ऋण पर ब्याज की छूट/चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों का प्रेषण।
13. उ०प्र० सैनिक पुनर्वास निधि से भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण।
14. उ०प्र० सैनिक पुनर्वास निधि से भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी के अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्रों का प्रेषण।
15. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान/चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रार्थना-पत्रों का प्रेषण।
16. सेवारत सैनिकों/ भूतपूर्व सैनिकों के पता परिवर्तन की स्थिति में पते की जांच कर सूचना यूनिट/अभिलेख कार्यालयों को प्रेषित करना।
17. सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का प्रभावित ढंग से निराकरण हेतु कार्यवाही करना।
18. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत यदि कोई हो तो मामलों का निस्तारण।

जनसूचना अधिकारी – जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी

सहायक जन सूचना अधिकारी – सहायक अधिकारी/ वरिष्ठ लिपिक



जिला सैनिक कल्याण
एवं पुनर्वास अधिकारी,
फतेहगढ़।